भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *168

उत्तर देने की तारीख: 11.02.2026

वक्फ पंजीकरण की समय सीमा के विस्तार की वैधता

***168. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2025 किस आधार पर निर्धारित की है जबकि इस अधिनियम में इसके लागू होने की तिथि से 6 महीने की अवधि की गणना करने का अधिदेश दिया गया है जिसके अनुसार अंतिम तिथि 5 अक्टूबर, 2025 बनती है;

(ख) सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के बजाय पोर्टल शुरू करने की तिथि को किस प्रकार आधार मानती है;

(ग) कानून के उन उपबंधों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और वह खंड कौन-सा है जो सरकार को इस सांविधिक समय-सीमा को बढ़ाने की अनुमति देता है; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि समय-सीमा को बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने किस प्रकार संशोधन किए बिना अंतिम तिथि 5 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 5 दिसम्बर, 2025 कर दी है?

<u>**उत्तर**</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वक्फ पंजीकरण की समय सीमा के विस्तार की वैधता' विषय पर दिनांक 11.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *168 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 को 08.04.2025 से लागू किया गया। अधिनियम की धारा 3ख(1) के अंतर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण छह महीने की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

हालांकि, वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण दाखिल करने की वैधानिक आवश्यकता उस समय तक लागू नहीं होगी जब तक एक कार्यात्मक पोर्टल उपलब्ध न हो। अधिनियम की धारा 3(टक) के प्रावधानों के अनुसार, "पोर्टल और डेटाबेस" का अर्थ है वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली या कोई अन्य प्रणाली जो केंद्रीय सरकार द्वारा वक्फ और बोर्ड के पंजीकरण, लेखा, लेखापरीक्षा और अन्य विवरणों के लिए स्थापित की गई हो। तदनुसार, UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 विकसित किया गया एवं दिनांक 06.06.2025 को इसकी शुरूआत की गई, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण अपलोड किया जा सके, नए वक्फ का पंजीकरण किया जा सके और वक्फ के समग्र प्रबंधन और अभिशासन में सुविधा प्रदान की जा सके।

चूंकि वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया केवल तब ही की जा सकती है जब पोर्टल पूरी तरह से कार्यात्मक हो, इसलिए छह महीने की अवधि को वैधानिक UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 के शुभारंभ होने की तारीख से निर्धारित किया गया है, ताकि हितधारकों को कानून की मूल भावना एवं अधिनियम के विधायी उद्देश्य के अनुरूप वैधानिक रूप से पूरी संचालन अवधि की सुविधा प्राप्त हो। इसी के अनुसार, इस संचालनीय समयावधि के आधार पर, प्रारंभिक छह महीने की अवधि 06.12.2025 को समाप्त हुई।

अधिनियम की धारा 3ख(1) के तहत यह भी प्रावधान है कि वक्फ अधिकरण, आवेदन किए जाने पर, उपयुक्त समझते हुए एवं इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक के पास पोर्टल पर वक्फ का विवरण उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे, तो इस धारा के तहत छह महीने की अवधि को और आगे अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित रिट याचिका (सिविल) सं. 2025 का 276, जो कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध थी, में माननीय न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया कि UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3ख(1) में ऐसे प्रावधान हैं, जो UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तद्नुसार, इस वैधानिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर, आवेदनों को निपटाया गया और आवेदकों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे उपयुक्त छूट के लिए सक्षम वक्फ अधिकरण से सहायता ले सकते हैं।

सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि विवरण दाखिल करने की निर्धारित छह महीने की अवधि 06.12.2025 को समाप्त हो रही है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि पीड़ित पक्ष UMEED अधिनियम, 1995 के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठाते हुए, इस धारा के अंतर्गत छह महीने की अवधि को और आगे अधिकतम छह महीने तक बढ़ाने के लिए संबंधित वक्फ अधिकरणों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध इस वैधानिक उपाय को ध्यान में रखते हुए, संबंधित माननीय अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को समय-सीमा में विस्तार प्रदान किया गया। वर्तमान में, ऐसे आदेश प्राप्त करने वाले अब तक 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के लिए UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 को पुनः खोला गया गया है, और यह केवल मौजूदा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के उद्देश्य से किया गया है।

*****